



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल



दिनांक - 25/10/2020

पत्रांक - 2498/2914

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

विषय - जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 हे० वन भूमि का तैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को हस्तांतरण के संबंध में।

सन्दर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का ई०डी०एस० दिनांक 29.06.2021 एवं पत्रांक 04/FP/UK/Road/9600/2015 किमी० 01.07.2021।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांक द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no.2. upload the correct SOI Toposheet as mentioned in the FDS of regional office	SOI toposheet फार्म ए पैरा सी (111) में अपलोड कर दिया गया है।
2	In reply to point no.3 mark point at the interval as mentioned in the EDS of regional office	दुगने क्षेत्रफल में चयनित सी०ए० मैप एवं मार्ग संरेखन डिजिटल मैप में आवश्यक स्थानों पर कॉर्डिनेट अंकित कर मानचित्र पुनः अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to point no.4 upload the justification at the relevant place.	जस्टीफिकेशन फार्म ए पैरा जे० में अंकित कर दी गयी है।
4	In reply to point no.5 clarify the status of schedule area.	आवश्यक टिप्पणी फार्म ए पैरा जे में अंकित कर दी गयी है।
5	In reply to point no.6 mention the name of the CA site in the suitability certificate.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में स्थान अंकित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
6	In reply to point no.7 DFO have to submit the justification.	SIR आपके स्तर से अपलोड की जानी है।
7	In reply to point no.8 detail justification sought at the end of the UA along with guideline of IRC in this regard.	IRC 52-2019 के अनुसार मोडों में 6.1 मी० एवं अन्य स्थानों में 5.10 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों की गणना की गई है। जिससे न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का पातन निहित हो सकें।
8	In reply to point no.9 Upload the work not start certificate as instructed.	कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
9	In reply to point no.10 Upload the NPV calculation sheet after being signed by the competent authority.	NPV calculation आपके स्तर से तैयार कर अपलोड किया जाना है।
10	In reply to point no.11 CA scheme is to be upload at Para 13 Part II.	Part II आपके में वांछित सूचना आपके स्तर से तैयार कर अपलोड किया जाना है।
11	In reply to point no.12 Still the document not scanned properly. UA instructed to remove the entire document and then upload the entire document properly after scanning them.	Still the document not scanned properly. UA instructed to remove the entire document and then upload the entire document properly after scanning them आवश्यक प्रपत्रों को स्कैन कर पुनः निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव अग्रसारित करने की कृपा करें। ताकि काफी समय से लम्बित प्रकरण का निस्तारण संभव हो सकें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल

25/10/2020